

पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

“कार्यालय आदेश”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 एवं शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14 मार्च 2024 में निहित प्राविधानानुसार विभागाध्यक्ष स्तर पर किये जाने वाले स्थानान्तरणों हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वाहन चालकों के स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किये जाते हैं :-

अनुरोध के आधार पर

क्र.सं.	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री दलीप सिंह, वाहन चालक	हीफर रियरिंग प्रक्षेत्र, पशुलोक ऋषिकेश	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, चमोली	अनुरोध के आधार पर
2	श्री राधेश कुमार, वाहन चालक	कार्यालय रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद, देहरादून	हीफर रियरिंग प्रक्षेत्र, पशुलोक ऋषिकेश	अनुरोध के आधार पर

दुर्गम से सुगम

क्र. सं.	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री रामस्वरूप नौटियाल, वाहन चालक	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, चमोली	पशुपालन निदेशालय, देहरादून	जनहित

सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यमुक्त होकर निर्धारित समयान्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें। अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(डा०नीरज सिंघल)
निदेशक।

संख्या 1886 /स्था०एक/वा०स्थाना०(वा०चा०)/2024-25 दिनांक 3। जुलाई, 2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद, देहरादून।
4. परियोजना निदेशक, हीफर प्रक्षेत्र, पशुलोक ऋषिकेश।
5. सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
7. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, मुख्यालय।
8. उपरोक्त सम्बन्धित कार्मिकों को अनुपालनार्थ।

(डा०नीरज सिंघल)
निदेशक।